

[2008] 3 एस.सी.ओर. 602

एम/एस गोवा कार्बन लिमिटेड

बनाम

व्यापार कर के आयुक्त

(सिविल अपील सं. 1660/2008)

28 फरवरी, 2008

[एस. एच. कपाडिया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948, धारा 3 एफ :- उपयोग के अधिकार के हस्तांतरण का लेनदेन - संयंत्र और मशीनरी की माल ओपूति पट्टा - किराये की प्राप्ति - कर योग्यता - निर्धारित, तथ्यों पर, धारा 3 एफ के तहत कर निर्णित किया जाएगा क्योंकि वह स्थानीय बिक्री थी।

निर्धारिता, पट्टे के व्यवसाय में और संयंत्रों और मशीनरी का वित्तपोषण के काम में लगा हुआ था। निर्धारण वर्ष 1994-95, 1995-96 और 1996-1997 के मामले को जांचने पर विभाग ने यह नोटिस किया कि निर्धारिता ने के.ई.लिमिटेड, यू.पी. को संयंत्र मशीनरी की सप्लाई करने के लिए पट्टा दिया था और उसके बदले में पट्टे का किराया प्राप्त किया। मूल्यांकन अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस अंतर्गत धारा 3 एफ उत्तर प्रदेश व्यापार

कर अधिनियम, 1948 में जारी किया, जिसका निर्धारिता के द्वारा जवाब ना देने पर निर्धारिती द्वारा प्राप्त पट्टे के किराए पर कर लगाने के निर्धारण आदेश, जिसकी पुष्टि उप सहायक आयुक्त के द्वारा की गई थी। अपील पर न्यायाधिकरण ने मामले को वापस मूल्यांकन अधिकारी को रिमांड किया। रिमांड करने पर, मूल्यांकन अधिकारी ने यह पाया कि पट्टा इकरारनामे में, एक वारंटी खंड था जो यह इंगित करता है कि के.ई. लिमिटेड ने वो उपकरणों को चुा है, जो निर्धारिती द्वारा इसे खरीदने से पहले पट्टे पर दिए गए थे। पट्टे के इन खंडों को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती को इकरारनामा पेश करने के लिए बुलाया गया था , जिसके चलते उसने उपकरणों की खरीद की थी। निर्धारिती इस तरह का इकरारनामा पेश करने में विफल रहा। मूल्यांकन अधिकारी ने एक चालान भी देखा जिसके अंतर्गत निर्धारिती ने मशीनरी खरीदी थी, जो खरीद आदेश का संदर्भ था, जो संकेत दिया कि उपकरणों को बाँम्बे में निष्पादित हुआ पट्टा करार की तारीख से पहले ही पंजाब से खरीदे गए थे। मूल्यांकन अधिकारी ने यह पाया कि यह संव्यवहार विक्रय के बाहर। मूल्यांकन अधिकारी का यह फैसला सहायक अभियुक्त के द्वारा यथावत रखा गया। यह निर्धारित किया गया कि उपकरणों की ओवाजाही पट्टे के अनुपालना में उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं किया जाएगा। यह भी तय किया गया कि ओशय पत्र दिनांक 29.10.1991 पट्टे का हिस्सा नहीं था। समवर्ती

न्यायाधिकरण द्वारा निष्कर्षों की पुष्टि की गई। हाई कोर्ट भी संशोधनों को खारिज कर दिया। इसलिए वर्तमान अपील।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए अभिनिर्धारित किया-

उपर्युक्त निर्णय पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 1948 अधिनियम की धारा 3-एफ के तहत आने वाले मामलों में कराधान वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है और इसलिए डिलीवरी के प्रश्न से निपटना अनावश्यक है, जो स्थिति से संबंधित है। इसलिए इस मामले में वह स्थान जहां उपयोग का अधिकार हस्तांतरित किया गया है, वह प्रासंगिक है ना कि डिलीवरी का स्थान जो स्थिति निर्धारित करने के लिए मौखिक अनुबंध के मामले में प्रासंगिक हो सकता है। धारा 3-एफ के तहत मामलों में कराधान का विषय वस्तु उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है और वह स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उस स्थान को देखना आवश्यक है जहां अनुबंध किया गया है। मौखिक अनुबंधों के मामले में हम उस जगह से संबंध नहीं रखते हैं जहां पर माल पहुंचाया जाता है। (पेरा 9)

निर्धारिती के अनुसार, ओशय पत्र जो अनुबंध था, वो दिनांक 29.10.91 पर मौजूद था। हालांकि उक्त पत्र में स्थान अर्थात मुंबई का उल्लेख नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह ओशय पत्र निर्धारिती द्वारा 12 वर्ष के बाद पहली बार प्रस्तुत किया गया था। पहले उक्त पत्र प्रस्तुत ना करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया,

खासकर, जब विभाग ने बार-बार निर्धारिती को पट्टे से पहले किसी भी समझौते/व्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए था और जिसके अनुसार निर्धारिती द्वारा दिनांक 28.11.91 का पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिला पटियाल पंजाब का खरीद ओदेश पेश किया। इसके अलावा चालान दिनांक 26.02.92 में मैसर्स केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बहड़ी को पट्टेदार बताया गया है। उस तारीख को कोई पट्टा नहीं था। पट्टा दिनांक 24.03.92 को ही निष्पादित किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि 12 वर्षों के बाद प्रस्तुत ओशय पत्र पर निर्धारिती के मामले के समर्थन में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि 24.03.92 से पहले भी एक पूर्व समझौता/व्यवस्था थी, जिसके अनुसार उपकरण खरीदे गए थे। उपर्युक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि ओशय पत्र वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि कर से बचने के लिए निष्पादित किया गया है और परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित लेन-देन एक बहड़ी बिक्री थी। 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में निर्धारिती ने विधिक उपकरणों को पट्टे पर देने का व्यवसाय किया। उस मामले में निर्धारिती ने पट्टेदार के साथ मास्टरलिज समझौते में प्रवेश किया था। जिसमें प्रावधान था कि व्यक्तिगत उपकरणों के लिए ओदेश अपीलकर्ताओं द्वारा पट्टेदार के कहने पर दिए जाएंगे और पट्टे पर दिए जाने वाले उपकरण ओपूतीकर्ता द्वारा पट्टे में निर्दिष्ट स्थानों पर भेजे जाएंगे। इसलिए, उस मामले में यह स्थापित किया गया था कि

अपीलकर्ताओं ने मास्टरलीज समझौतों के अनुसार अपीलकर्ताओं को अपने खरीद आदेश दिए थे, जबकि वर्तमान मामले में यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि कोई समझौता/व्यवस्था दिनांक 28.11.91 के खरीद आदेश के अनुसार मौजूद थी, इसलिए हस्तगत मामले में हम मानते हैं कि इस न्यायालय का निर्णय 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान मामले में कोई आवेदन नहीं है। वास्तव में रिकार्ड इंगित करता है कि इस मामले को 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड के मामले में तथ्यों के साथ संरेखित करने के लिए निर्धारिती के कहने पर 12 साल बाद ओशय पत्र सामने आया है। उपर्युक्त कारणों से हम न्यायाधिरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि पूरी व्यवस्था विवादित लेन-देन को बाहरी बिक्री के रूप में पेश करने के लिए की गयी थी, ताकि उक्त लेन-देन 1948, अधिनियम की धारा 3-एफ के दायर में ना आए। जो कारण उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, उससे हम सहमत नहीं हैं, हालांकि निर्धारिती की अपील को खारिज करने वाले उसके फैसले के ऑपरेटिव हिस्से से सहमत हैं। (पेरा 10,11)

20 वीं सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य. महाराष्ट्र (2000) 6 एससीसी 12 - प्रतिष्ठित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : अपील (सिविल) 1660/2008

(टीटीओर संख्या 691, 692 और 693/2006 में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सामान्य निर्णय एवं आदेश दिनांक 19/10/2006 से)

दिनेश दिवेदी, केवीन गुलाटी, रशमी सिंह, अवीनाश पांडे, प्रतीक द्विवेदी व टी.महीपाल अपीलकर्ता की ओर से ।

कृष्णन वेणुगोपाल, एस.के. द्विवेदी, रविंद्र कुमार व गुन्नाम वेंकटेश्वर राँव प्रतिवादी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया,

कपाड़िया, जे.

1. छुट्टी स्वीकृत।

2. निर्धारिती द्वारा दायर की गयी यह सिविल अपील 2006 के 3 व्यापार कर संशोधन संख्या 691,692 और 693 ऑफ 2006 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उपरोक्त निर्णय और आदेश दिनांक 19.10.2006 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके द्वारा यह माना गया है कि उपयोग के अधिकार के हस्तान्तरण का लेन-देन यू.पी. व्यापार कर अधिनियम, 1948 की धारा 3 F के तहत एक स्थानीय बिक्री है।

3. निर्धारिती कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत निर्मित एक कम्पनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय पंजीयन गोवा में है। यह संतरों और

मशीनरी के पट्टों पर देने पर और वित्त पोषण करने के व्यवसाय में लगी हुयी है।

4. इस सिविल अपील में हम मूल्यांकन वर्ष, 1954, 1955, 1956 व 1957 से संबंधित है।

5. मैसर्स से संबंधित मूल्यांकन वर्षों के करने की जांच करते समय केसर एण्टरप्राइजेज लिमिटेड यू.पी. विभाग ने देखा कि निर्धारिती ने मैसर्स को संयंत्र और मशीनरी की ओपूर्ति की केसर एण्टरप्राइजेज लिमिटेड पट्टों पर है और निर्धारिती को इसके द्वारा मैसर्स ओपूर्ति की गयी मशीनरी के लिए पट्टा किराया प्राप्त हो रहा था। केसर एण्टरप्राइजेज बहरी यू.पी. को कर मूल्यांकन प्राधिकारी ने 1984 अधिनियम की धारा 3F के तहत मैसर्स केसर एण्टरप्राइजेज लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया ताकि यह बताया जा सके कि यहां निर्धारिती द्वारा प्राप्त लीज किराये पर कर क्यूं नहीं लगाना चाहिये। निर्धारिती की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ और इसलिये मूल्यांकन अधिकारी ने निर्धारिती द्वारा प्राप्त पट्टा किराये पर कर लगाते हुये दिनांक 31.03.1998 और दिनांक 27.03.1999 को एकपक्षीय मूल्यांकन ओदेश पारित किया। उक्त मूल्यांकन ओदेश की पुष्टि डिप्टी कमीशनर (A) ने की।

6. डिप्टी कमीशनर (A) द्वारा पारित ओदेश से व्यथित होकर निर्धारिती ने न्यायाधिकरण बरेली के समक्ष 1948 अधिनियम की धारा 10

के तहत दूसरी अपील दायर की। दिनांक 28.01.2004 के आदेश के तहत कर न्यायाधिकरण ने मामलें को नये सिरे से निपटाने के लिए मूल्यांकन अधिकारी को वापस भेज दिया। न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी को 20 वीं सेन्चूरी फाईनेन्स काॅर्पोरेशन लिमिटेड एण्ड अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र (2000)6 SCC 12 के मामलें को इस न्यायालय के फैसले के आलोक में मामलें पर नये सिरे से विचार करने का निर्देश दिया।

7. रिमांड पर मूल्यांकन अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया कि दिनांक 24.03.92 को पट्टा समझौता में एक वारंटी खंड था, जो इंगित करता था कि मैसर्स केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने उन उपकरणों का चयन किया था, जो निर्धारिती द्वारा उसकी खरीद से पहले उसे पट्टे पर दिए गए थे। एओ इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उपकरण पट्टे के निष्पादन दिनांक 24.03.92 से पहले खरीदा गया था। ए.ओ. के अनुसार, उक्त पट्टे में उक्त खण्ड को मददेनजर निर्धारिती को मौखिक या लिखित रूप से समझौता/व्यवस्था को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिसके अनुसार उपकरण निर्धारिती द्वारा खरीद किया गया था। ए.ओ. के अनुसार अवसर के बावजूद निर्धारिती ऐसा समझौता/व्यवस्था प्रस्तुत करने में विफल रहा है। इसके अलावा, एओ ने दिनांक 26.02.92 के एक चालान पर भी भरोसा किया है, जिसके तहत निर्धारिती ने पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिला पटियाल पंजाब से बायलर और टरबाईन खरीदे थे। पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिला पटियाल पंजाब जिसमें

दिनांक 28.11.91 के खरीद के ओदेश थे। जिसमें संकेत दिया गया था कि उपकरण दिनांक 24.03.92 के पट्टा समझौता से पहले एक समझौता/व्यवस्था के तहत खरीद किया गया था, जिसे बाद में विचार के रूप में मुंबई में निष्पादित किया गया दिखाया गया है, जो बाहरी बिक्री के रूप में लेन देन है। एओ के इस निष्कर्ष की एक बार फिर उपायुक्त(ए) ने पुष्टि की है। यह माना गया है कि, चूंकि उपकरण दिनांक 26.02.92 को खरीदा गया था (जैसा कि एसएलपी पेपर बुक के पुष्ट संख्या 36 पर चालान द्वारा दर्शाया गया है)। उक्त उपकरण की ओवाजाही को पूर्व यूपी स्थान से नहीं कहा जा सकता है कि दिनांक 24.03.92 के पट्टे के अनुसरण में बहेड़ी, यूपी में किया है। ओगे यह माना गया कि दिनांक 29.10.91 का ओशयपत्र पट्टे का हिस्सा नहीं था। नतीजतन, निर्धारिती द्वारा दायल अपील खारिज कर दी गयी है। उपर्युक्त समवर्ती निष्कर्षों की पुष्टि न्यायाधिकरण ने अपने ओदेश दिनांक 06.05.06 द्वारा की थी। न्यायाधिकरण ने ओगे कहा कि निर्धारिती के इस तर्क में कोई दम नहीं है कि पट्टा समझौता दिनांक 29.10.91 के ओशय पत्र के अनुसार निष्पादित किया गया था, खासकर, जब पट्टे में इस ओशय का कोई संकेत नहीं था। न्यायाधिकरण के अनुसार यदि पट्टे को ओशय पत्र की निरंतरता में निष्पादित किया गया होता तो पट्टे में ऐसे पत्र का संदर्भ होता और ऐसे संदर्भ के अभाव में यह नहीं कहा जा सकता है कि पट्टे को ओशय पत्र के अनुसार निष्पादित किया गया हो। नतीजतन न्यायाधिकरण के समक्ष

निर्धारिती द्वारा अपील खारिज कर दी गयी है। उच्च न्यायालय के समक्ष निर्धारिती द्वारा दायर कर संशोधन भी खारिज कर दिया गया है, इसलिए यह सिविल अपील है।

8. 20th सेन्चूरी फाईनेन्स काॅर्पोरेशन लिमिटेड (सुपरा) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ ने बहुमत से माना कि मामले कि डिलेवरी उपयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के तत्वों में से एक हो सकती है। लेकिन ये माल के उपयोग के अधिकार के हस्तान्तरण के अनुबंध के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं होगी। जहां पर एक पार्टी ने एक औपचारिक अनुबंध में प्रवेश किया है और सामान्य डिलेवरी के लिए उपलब्ध है। चाहे वे किसी भी स्थान पर स्थित हो, एेसी बिक्री का स्थान वह होगा जहां माल के साथ संपत्ति गुजरती है। अर्थात जहां अनुबंध में प्रवेश किया गया है(देखें पैरा 25) ओगे यह माना गया है कि अनुबंध 366 (29A)(d) यह दर्शाता है कि कर का उदग्रहण कर के उपयोग पर नहीं बल्कि माल के उपयोग के अधिकार के हस्तान्तरण पर है, उपयोग के अधिकार अनुबंध के तहत एेसे अधिकार के हस्तान्तरण पर ही उत्पन्न हाेता है और जब तक एेसे अधिकार का हस्तान्तरण नहीं होता है तब तक उपयोग का अधिकार उत्पन्न नहीं होता है, इसलिए यह हस्तान्तरण है जो किसी भी वस्तु के उपयोग के अधिकार के लिए अनिवार्य शर्त है। यदि वस्तु/सामान उपलब्ध है तो उपयोग के अधिकार का हस्तान्तरण तब होता है जब उसके संबंध में

अनुबंध निष्पादित होता है। जैसे ही अनुबंध निष्पादित होता है, अधिकार पट्टेदार में निहित हो जाता है।

9. उपर्युक्त निर्णय पर यह स्पष्ट हो जाता है कि 1948 अधिनियम की धारा 3-एफ के तहत आने वाले मामलों में कराधान वस्तुओं के उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है और इसलिए डिलीवरी के प्रश्न से निपटना अनावश्यक है, जो स्थिति से संबंधित है। इसलिए इस मामले में वह स्थान जहां उपयोग का अधिकार हस्तांतरित किया गया है, वह प्रासंगिक है ना कि डिलीवरी का स्थान जो स्थिति निर्धारित करने के लिए मौखिक अनुबंध के मामले में प्रासंगिक हो सकता है। धारा 3-एफ के तहत मामलों में कराधान का विषय वस्तु उपयोग के अधिकार का हस्तांतरण है और वह स्थान महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें उस स्थान को देखना आवश्यक है जहां अनुबंध किया गया है। मौखिक अनुबंधों के मामले में हम उस जगह से संबंध नहीं रखते हैं जहां पर माल पहुंचाया जाता है।

10. निर्धारिती के अनुसार, ओशय पत्र जो अनुबंध था, वो दिनांक 29.10.91 पर मौजूद था। हालांकि उक्त पत्र में स्थान अर्थात मुंबई का उल्लेख नहीं है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह ओशय पत्र निर्धारिती द्वारा 12 वर्ष के बाद पहली बार प्रस्तुत किया गया था। पहले उक्त पत्र प्रस्तुत ना करने के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, खासकर, जब विभाग ने बार-बार निर्धारिती को पट्टे से पहले किसी भी समझौते/व्यवस्था प्रस्तुत करने के लिए था और जिसके अनुसार निर्धारिती

द्वारा दिनांक 28.11.91 का पंजाब केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिला पटियाल पंजाब का खरीद ओदेश पेश किया। इसके अलावा चालान दिनांक 26.02.92 में मैसर्स केसर एंटरप्राइजेज लिमिटेड बहड़ी को पट्टेदार बताया गया है। उस तारीख को कोई पट्टा नहीं था। पट्टा दिनांक 24.03.92 को ही निष्पादित किया गया है। उपर्युक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमारा विचार है कि 12 वर्षों के बाद प्रस्तुत ओशय पत्र पर निर्धारिती के मामले के समर्थन में भरोसा नहीं किया जा सकता है कि 24.03.92 से पहले भी एक पूर्व समझौता/व्यवस्था थी, जिसके अनुसार उपकरण खरीदे गए थे। उपर्युक्त परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि ओशय पत्र वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि कर से बचने के लिए निष्पादित किया गया है और परिणामस्वरूप यह नहीं कहा जा सकता कि विवादित लेन-देन एक बहड़ी बिक्री थी। 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (सुपरा) के मामले में निर्धारिती ने विधिक उपकरणों को पट्टे पर देने का व्यवसाय किया। उस मामले में निर्धारिती ने पट्टेदार के साथ मास्टरलिज समझौते में प्रवेश किया था। जिसमें प्रावधान था कि व्यक्तिगत उपकरणों के लिए ओदेश अपीलकर्ताओं द्वारा पट्टेदार के कहने पर दिए जाएंगे और पट्टे पर दिए जाने वाले उपकरण ओप्टीकर्ता द्वारा पट्टे में निर्दिष्ट स्थानों पर भेजे जाएंगे। इसलिए, उस मामले में यह स्थापित किया गया था कि अपीलकर्ताओं ने मास्टरलीज समझौतों के अनुसार अपीलकर्ताओं को अपने खरीद ओदेश दिए थे, जबकि वर्तमान मामले में यह इंगित करने के लिए

कुछ भी नहीं है कि कोई समझौता/व्यवस्था दिनांक 28.11.91 के खरीद ओदेश के अनुसार मौजूद थी, इसलिए हस्तगत मामले में हम मानते हैं कि इस न्यायालय का निर्णय 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड का वर्तमान मामले में कोई ओवेदन नहीं है। वास्तव में रिकार्ड इंगित करता है कि इस मामले को 20th सेंचूरी फाईनेन्स कोर्पोरेशन लिमिटेड (सुपरा) के मामले में तथ्यों के साथ संरेखित करने के लिए निर्धारिती के कहने पर 12 साल बाद ओशय पत्र सामने ओया है।

11. उपर्युक्त कारणों से, हम न्यायाधिरण द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत हैं कि पूरी व्यवस्था विवादित लेन-देन को बाहरी बिक्री के रूप में पेश करने के लिए की गयी थी, ताकि उक्त लेन-देन 1948, अधिनियम की धारा 3-एफ के दायर में ना ओए। जो कारण उच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, उससे हम सहमत नहीं है, हांलाकि निर्धारिती की अपील को खारिज करने वाले उसके फैसले के ऑपरेटिव हिस्से से सहमत हैं।

12. उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान मामले के तथ्यों में, हम वर्तमान मामले में न्यायाधिकरण द्वारा दर्ज किए गए तथ्यों के निष्कर्ष में हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं। तदनुसार सिविल अपील बिना कोस्ट के खारिज की जाती है।

डी.जी.

अपील खारिज

यह अनुवाद ओर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी दिव्य मोहन गुप्ता, ओर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और ओधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।